क्रमांक : कैम्प/ग्राम पंचायत नेवर 171

दिनांक 17/5/18 को श्री TDR ज्यारे प्रार्थना पत्र भेजकर लेख है कि प्रकरण में अपने स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाई कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब भिजवायें।

शिविर तहसीलदार
जमवारामगढ़ जिला जयपुर
राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

(26)

नेवर

क्रमांक : कैम्प स्थल नेवर

दिनांक 17-5-18

[illegible] भेजकर लेख है कि प्रार्थना [illegible] की जांच कर प्रकरण का [illegible] निस्तारण कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

तहसीलदार (भु.अ.)
जमवारामगढ़

क्रमांक

प्रार्थी अजयकुमार, विजयकुमार पिता छोटूराम का राजस्व रिकार्ड में नाम मोहनलाल सोहनलाल पिता छोटूराम हजे रिकार्ड है, मिलि प्रार्थी के I.D. राशनकार्ड, शपथपत्र, ग्राम पंचायत रिपोर्ट रिकार्ड के अनुसार अजयकुमार, विजयकुमार [illegible] मोहनलाल के स्थान [illegible] कुमार, मोहनलाल के स्थान [illegible]

मु.नं. 24/2018

उनवान - अजय कुमार बनाम सरप[illegible]

धारा 88 आर० टी० एम०

आदेश दिनांक 17/5/18

मुताबिक तहसीलदार जमवारामगढ़ की रिपोर्ट, सहखातेदारों के शपथ पत्र, ग्राम पंचायत की रिपो[illegible] के अनुसार प्रार्थी का नाम मोहनलाल, सोहनलाल के बजाय अजय कुमार, विजय कुमार पु[illegible] छोटू दुरुस्त करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ़ को दिये जाते हैं। तहसीलदार जमवारामगढ़ तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करें।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़